भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1829

09 मार्च, 2026 को उत्तर दिये जाने के लिए

विकसित भारत पहल के अंतर्गत गुजरात में विकसित सैटेलाइट टाउन की प्रगति

1829 # श्री गोविंदभाई लालजी भाई धोलकियाः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने और सभी राज्यों के सर्वांगीण विकास को गति प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा टीयर-2 और टीयर 3 शहरों के विकास हेतु की जा रही रणनीतिक परिकल्पना का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त परिकल्पना के अंतर्गत सैटेलाइट टाउन को विकसित किया जा रहा है ताकि इन शहरों को आर्थिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण केंद्र बनाया जा सके; और

(ग) गुजरात राज्य में विकसित किए जाने के लिए चिह्नित किए गए सैटेलाइट टाउन का ब्यौरा क्या है और इन चिह्नित सैटेलाइट टाउन के विकास में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (ग): भारत के संविधान की 12वीं अनुसूची के अनुसार, शहरी विकास, उप-नगरों के विकास सहित शहरी नियोजन शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी)/शहरी विकास प्राधिकरणों का कार्य है। भारत सरकार योजनाबद्ध हस्तक्षेपों/परामर्शिकाओं के माध्यम से राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है।

वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने और समग्र विकास में तेजी लाने के लिए, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) 2.0 के अंतर्गत 50,000 से 99,999 की आबादी वाले श्रेणी- II शहरों के लिए

जीआईएस आधारित मास्टर प्लान तैयार करने संबंधी उप योजना शुरू की है। अब तक 93 शहरों का अंतिम आधार मानचित्र तैयार किया गया है, 55 शहरों का मसौदा मास्टर प्लान और 65 शहरों का अंतिम मास्टर प्लान तैयार किया गया है और लगभग 2575 अधिकारियों को 30 प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षित किया गया है।

टियर- II और टियर- III शहरों सहित शहरी इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, बजट 2025-26 में, सरकार ने 'विकास केंद्र के रूप में शहर', 'शहरों के रचनात्मक पुनर्विकास' और 'जल और स्वच्छता' के प्रस्तावों को कार्यान्वित करने के लिए 1 लाख करोड़ रूपये की शहरी चुनौती निधि (यूसीएफ) स्थापित करने की घोषणा की है। कैबिनेट ने 13 फरवरी, 2026 को यूसीएफ को अनुमोदित कर दिया है। यूसीएफ बैंक योग्य परियोजनाओं की लागत का 25 प्रतिशत तक इस शर्त के साथ वित्तपोषित करता है कि लागत का कम से कम 50 प्रतिशत बांड, बैंक ऋण और सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) से वित्त पोषित किया जाए। यूसीएफ के अंतर्गत, टियर- II और टियर- III शहरों में बाजार वित्त तक पहुंच की सुविधा के लिए, पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सभी शहरों और अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के छोटे शहरों (<1,00,000 आबादी) के लिए 5,000 करोड़ रुपये की निधि के साथ एक ऋण चुकौती गारंटी योजना को अनुमोदित कर दिया गया है। इस उप-योजना के तहत, यूसीएफ परियोजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता के अलावा, परियोजनाओं हेतु शहरों द्वारा लिए गए ऋण के लिए केंद्रीय गारंटी प्रदान की जाएगी। पहली बार ऋण के लिए गारंटी 7 करोड़ रूपये या ऋण राशि का 70 प्रतिशत (जो भी कम हो) और बाद के ऋणों के लिए ऋण राशि के 7 करोड़ रूपए या 50 प्रतिशत (जो भी कम हो) की होगी।

गुजरात राज्य द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, राज्य के बजट 2025-26 में, गुजरात सरकार ने राज्य के प्रमुख शहरों के पास पांच सैटेलाइट टाउन विकसित करने की घोषणा की है। राज्य के बजट में इस उद्देश्य के लिए 50 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। इसके बाद राज्य के शहरी विकास और शहरी आवास विभाग ने पांच शहरों - (1) कलोल (अहमदाबाद) (2) साणंद (अहमदाबाद) (3) सविल (वडोदरा) (4) बारडोली (सूरत) और (5) हीरासर (राजकोट) को सैटेलाइट टाउन के रूप में विकसित करने की घोषणा की है।

*****